मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

राज्य अभियान्त्रिकी सेवा (मुख्य) परीक्षा–2014

आयोजन की सूचना दिनांक **08.01.2016**

प्रवेश पत्र उपलब्धता अवधि	दिनांक **20.02.2016** से दिनांक **12.03.2016** तक	ऑनलाइन आवेदन अवधि	दिनांक **20.01.2016** से दिनांक **05.02.2016** तक

01 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य अभियान्त्रिकी सेवा परीक्षा 2014 हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 02/परीक्षा/2014 दिनांक 24.12.2014 के संदर्भ में आयोजित की गयी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम दिनांक 06.01.2016 को घोषित किया गया है । उक्त परीक्षा में सफ़ल आवेदकों हेतु राज्य अभियान्त्रिकी सेवा (मुख्य) परीक्षा 2014 का आयोजन <u>**दिनांक 14.03.2016 से दिनांक 15.03.2016 तक**</u> इन्दौर,भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर संभागीय मुख्यालयों स्थित परीक्षा केन्द्रों पर निम्नानुसार आयोजित की जायेगी :–

दिन	दिनांक	विषय	समय
सोमवार	14.03.2016	**प्रथम प्रश्न–पत्र** सिविल इंजीनियरिंग मेकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कृषि इंजीनियरिंग	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर पश्चात 1:00 बजे तक
मंगलवार	15.03.2016	**द्वितीय प्रश्न–पत्र** सिविल इंजीनियरिंग मेकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कृषि इंजीनियरिंग	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर पश्चात 1:00 बजे तक

परीक्षार्थियों की संख्या तथा प्रशासनिक कारणों से केन्द्रों की संख्या को कम किया जा सकता है ।

02 प्रारंभिक परीक्षा मे सफ़ल आवेदकों को मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर आवेदन एवं परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना आवश्यक होगा । मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक **20.01.2016** (दोपहर 12:00) से **05.02.2016** (रात्रि 12:00 बजे) तक **www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर भरे जा सकते है । आवेदकों को मुख्य परीक्षा हेतु निम्नानुसार आवेदन एवं परीक्षा शुल्क देय होगा:–

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क
₹ 400/	₹ 800/
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क ₹ 40/– (सेवा कर सहित) अतिरिक्त देय होगा	
आवेदन तथा परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है । यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एम.पी.आनलाइन से <u>हेल्पलाइन –0755–4019400</u> पर संपर्क कर शिकायत दर्ज़ करा सकते हैं	

03 आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिनांक **25.01.2016** से दिनांक **07.02.2016** तक त्रुटि सुधार भी कर सकेंगें । त्रुटि सुधार अवधि के पश्चात आवेदन पत्र में कोई सुधार नहीं किये जा सकेंगें । त्रुटि सुधार हेतु प्रति सुधार सत्र ₹ 50/– (सेवाकर सहित) देय होंगें । जिन आवेदकों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरे जायेंगें राज्य सेवा परीक्षा 2014 हेतु उनकी उम्मीदवारी स्वयंमेव समाप्त हो जायेगी एवं इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य न करते हुये उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया जायेगा।

04 लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक **20.02.2016** से दिनांक **12.03.2016** तक **www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगें । प्रवेश पत्र डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित नहीं किये जायेंगें । प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु आवेदक mponline के अधिकृत कियोस्क का भी उपयोग कर सकते हैं । कियोस्क के माध्यम से प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु ₹ 5/– पोर्टल शुल्क देय होगा ।

05 आवेदक कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र के साथ निम्न मान्य फ़ोटो युक्त मूल पहचान–पत्र प्रस्तुत करने एवं उससे पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी :–

1.	मतदाता परिचय पत्र	2.	आधार कार्ड (फ़ोटोप्रति मान्य)	3.	ड्रायविंग लायसेंस
4.	आयकर का पेन कार्ड	5.	पासपोर्ट	6.	फ़ोटो सहित बैंक पासबुक
7.	केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य नियोक्ताओं द्वारा जारी फ़ोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र	8.	शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत आवेदकों के मामले में शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व जारी फ़ोटो पहचान पत्र		
9.	राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फ़ोटो परिचय–पत्र				

06 मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी अभ्यर्थियों को जो कही सेवारत न हों तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हों तथा 40 प्रतिशत से अधिक नि:शक्त अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेखित वर्तमान पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबन्टित परीक्षा शहर तक आने जाने के यात्रा व्यय का भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा–पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होंगें:–

(1) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति ।

(2) नि:शक्तता के प्रमाणन हेतु जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी नि:शक्तता प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति ।

(3) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यांत्रा की गयी, तथा किराये की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो ।

सचिव